**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3209**

**दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**कुपोषण से मौत**

**3209. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कुपोषण और संदूषित पेयजल से मरने वाले व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) ऐसा कोई आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, तीव्र दस्त रोग, वायरल हेपेटाइटिस और टाइफाइड (एंटरिक फीवर) जैसी जल जनित बीमारियाँ हो सकती हैं। हैजा, तीव्र दस्त रोग, वायरल हेपेटाइटिस और टाइफाइड (एंटरिक फीवर) के कारण रिपोर्ट की गई मौतों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल के अंतर्गत निम्न लिंक https://cbhidghs.mohfw.gov.in पर देखी जा सकती है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे जीवन चक्र में कमजोर आबादी में कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व अनुपूरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बीमार बच्चों का प्रबंधन, शिशु और छोटे बच्चों की उचित आहार पद्धतियों में सुधार, विटामिन ए अनुपूरण, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आदि। दस्त जैसी बाल बीमारियों की रोकथाम से बाल कुपोषण को अप्रत्यक्ष रूप से रोका जा सकता है। **विवरण** संलग्न हैं।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने पूरे देश में लोगों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए पहल की है, जिसमें भू-जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की उच्च मात्रा वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए कार्यकलाप भी शामिल हैं। जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए सुरक्षित पेयजल के उपयोग और हाथ धोने के महत्व पर आम लोगों के बीच जागरूकता सृजन करने की गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम - एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईडीएसपी-आईएचआईपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण निगरानी कार्यक्रम है जो देश में रोग की निगरानी करता है। आईडीएसपी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह कार्यक्रम जल जनित रोगों सहित 40 से अधिक महामारी-उन्मुख रोगों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

रोग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर फीडबैक संबंधित राज्य और जिले के साथ साझा किया जाता है ताकि जल जनित रोग की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। एकत्र किए गए आंकडों से इन रोगों के समय पर प्रबंधन और नीति निर्माण के उद्देश्य में भी मदद मिलती है। निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को अलर्ट उत्पन्न करने, शुरुआती चरण में प्रकोप का पता लगाने के लिए कैप्चर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकोप की जांच की जाती है और बीमारी के आगे प्रसार को नियंत्रित करने और रोकने के लिए यथा समय उचित उपाय किए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

कुपोषण के कारण मृत्यु के संबंध में दिनांक **09.08.2024** के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3209** के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक::

देश भर में बच्चों में पोषण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए कार्यक्रमगत उपाय:

1. **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं, ताकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, जो चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित हैं, को चिकित्सा और पोषण संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके। उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने, बच्चों को आयु-उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल और आहार देने संबंधी तरीकों पर माताओं और देखभाल कर्ताओं के पूर्ण कौशल में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

2. **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 माह के बच्चे, 5-9 साल के बच्चे, 10-19 साल के किशोर/किशोरियों, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और प्रजनन आयु (20-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम चलाती है। उपायों में रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण, 1-19 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कृमि मुक्ति, गहन व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) अभियान, सरकारी वित्तपोषित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में आईएफए पौष्टिकी कृत भोजन का प्रावधान और मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण कारणों का समाधान करना शामिल है, जिन्हें मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया गया है।

3. **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के अंतर्गत सभी बच्चों और किशोरों/ किशोरियों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन्हें एक ही निर्धारित दिन में दो चरणों (फरवरी और अगस्त) में एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।

4. **माताओं का निरपेक्ष स्नेह (एमएए) कार्यक्रम** स्तनपान कवरेज में सुधार लाने पर जोर देने के लिए लागू किया गया है, जिसमें बच्चों को स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है, इसके बाद अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण और व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-उपयुक्त पूरक आहार देने के तरीकों को शामिल किया गया है।

5. **स्तनपान प्रबंधन केंद्र:** व्यापक स्तनपान व्यवस्था केंद्र (सीएलएमसी) ऐसे सुविधा केंद्र हैं जो नवजात गहन स्वास्थ्य परिचर्या इकाइयों और विशेष नवजात शिशु स्वास्थ्य परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) माताओं द्वारा अपने बच्चे के उपभोग के लिए उसके अपने स्तन के दूध को संग्रह, भंडारण और वितरण की स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के भीतर ही व्यवस्था करके स्तनपान कराने में सहायता करने के लिए स्थापित की गई है।

6. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने तथा  से पोषण सहित मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।

7. **मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो बच्चों में पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के निहितार्थ है।

*****